

**कार्यालय,
समिव. प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविण/परीषद सम्बद्धता/2020/1971

सम्बन्ध दिनांक: 15-9-2020

- कार्यालय आदेश -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कार्यान्वित और प्राविधिक नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23-2020-21 हेतु दिल्ली स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संचालन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता पिल्लार/पाठ्यक्रम/प्रवेश हमला पृष्ठि सहित अन्य सभे पर विचार कराते हुन सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में दिल्ली का इन फार्मली कार्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

1. दिल्ली क्षेत्र में स्थापित दिल्ली का इन फार्मली कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एव सत्र 2020-21 हेतु पीपीसीआईए द्वारा उन्हें प्रस्ताव अनुमोदन विचार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीसीआईए द्वारा प्रदान किए गये अनुमोदन विचार को अनुसार उन्ही नाम के समुक्त अखिल भारतीय कार्यक्रम/प्रवेश हमला के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विचार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विचार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को प्राप्त सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश हमला हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	कार्यक्रम का नाम	पीपीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश हमला	पीपीसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश हमला
1	1011	संजयजी कॉलेज ऑफ फार्मली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सिस्टम इन फार्मली	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 2020/2020/2020/पीपीसीआईए द्वारा निर्णित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ उक्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद फक्त 1800 तक प्राविधिक शिक्षा परिषद निर्णयकारी 2020 संस्था निर्णयकारी-2016 तक अन्य निर्णित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्णय समिति द्वारा निर्णित हुआ तीन वर्षीय छात्रों पाठ्यक्रमों हेतु 50-30-150.00/- वार्षिक टै का भी कार्यालय फार्मली हेतु 50-45.000.00/- वार्षिक टै एक तथा दो वर्षीय कार्यक्रमों (दो वर्षीय अखिल भारतीय पाठ्यक्रम को अखिल) हेतु 50-12.000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश फर्म/हमला से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क को सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर वापस प्राप्त किया किये जाने वाले अनुमोदन प्रस्तावों को ही और तदनुसार फार्मली किया



उत्तर आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि २२ 2020-21 हेतु भौत का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो नीचे की नीतिगत चीं जायु होगी।

- ✓ संस्था की (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध शिक्षा प्रान्त) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की किलत का जाने की शिथिली में उदार प्रवेश कालन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को संस्था-साथ का निर्गत सातवादेश के अनुसार निर्देशान एवं सम्बद्धता सुलभ जना करना होगा।
- ✓ संस्था को फेडरेशन/एनटी/एनटी/एनटी/एनटी/एनटी से आगामी चक्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश कालन द्वारा बनाये गये शिक्षा/विशेष/अभियोगी/सातवादेशी/निर्देशों एवं निर्देशान, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा उद्योगिक शिक्षा परिषद, एनटी द्वारा बनाये गये विनियम, निर्देशान, कार्यवाही, निर्देशों का पालन करने के लिये साधन होंगी।
- ✓ शिक्षागत इन कार्नेली पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.सी.सी. सी. विन्ती से अनुमोदन प्राप्त करती हैं कालन नहीं है तो इन संस्था में सम्बद्ध उल्लेखित संस्था का होगा और शिक्षागत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशान एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश कालन की बोर्ड काद उद्योग किया जाता है तथा उद्योग काद के शिथिल में का कार्यवाही द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति सम्बन्धी कार्यवाही निर्गत किया जाता है जो कालन प्रतिभूति सम्बन्धित संस्था की कालनी होगी।
- ✓ शिक्षागत इन कार्नेली पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं की समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश करने के लिए अनिवारित प्रवेश परीक्षा हेतु अनिवारित प्रवेश होने की पूर्व फेडरेशन/एनटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को सम्बन्धित कालन अनिवारित प्रवेश की कार्यवाही के माध्यम से संस्था संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति गती प्रवेश की जायेगी।
- ✓ उद्योग प्रवेश कालन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नीतिगत आदेशान-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था की कालन केबराइट पर संस्था की कालन सुलभ जैसी संस्था की ऐतिहासिक पुष्टिभूति, उद्योग, उद्योग-सम्बद्ध, सम्बन्धित, कालन किया जाने कालन सुलभ, उद्योगगत सुलभ आदि का किलत उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षान-संविधान हेतु समुदाय ताताकालन उपलब्ध कालन के साथ वैशिल कालन के सम्बन्ध में कालन आवश्यक उद्योग सुनिश्चान कालनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में कालनित/संघालित पाठ्यक्रम की कालनी जाने हेतु निर्देशान समिति को साधन प्रदानना कालन गये उद्योगित, भूमि-कालन, कालनित, उपलब्ध कालनी का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम की कालनन में प्रवेश किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उद्योग संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित किले जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किले जाने कालन कालनी का कालनन किले जाने की शिथिली में विधानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सहायक निदेशक शिक्षा)
भारत

सुंभ- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3143

तार दिनांक: 19-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, उद्योगी कालन ओक कालनी, सोनीपुर, कालन, पालनाहा, मुसदाबाद।

(सहायक निदेशक शिक्षा)
भारत

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

: -कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1011-RUKMANI COLLEGE OF PHARMACY LODHIPUR RAJPOOT
PAKBADA MORADABAD-244102**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RUKMANI COLLEGE OF PHARMACY LODHIPUR RAJPOOT PAKBADA
MORADABAD-244102



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव